कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / मा / हिनि / 28129(छात्रवृति) / 2024–25 दिनांकः– 24/06/24

समस्त संयुक्त निदेशक,
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय)(माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा),
समस्त प्राचार्य डाईट,
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,

विषय :– हितकारी निधि योजनार्न्तगत एक मुश्त छात्रवृति प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण की अन्तिम तिथि 05.08.2024

हितकारी निधि माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के विभागीय कार्मिक जो सेवा में कार्यरत है(संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को छोडकर), समस्त वर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा X^{th} की परीक्षा में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये है, प्रति छात्र / छात्रा को 11,000 / – रूपये एक मुश्त छात्रवृति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, यह सहायता राशि हितकारी निधि के 2018–19 से नियमित अंशदाता को देय होगी। योजना का लाभ उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जिन्होंने सत्र 2024 में परीक्षा उत्तीर्ण (परीक्षा परिणाम मई 2024) की हो। प्रार्थना–पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किया जावें:–

01 योजनार्न्तगत शिक्षा विभागीय कार्मिक के पुत्र / पुत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित X^{th} की परीक्षा **राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण की हो।**

02 विभागीय कार्मिक के पुत्र / पुत्री द्वारा 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र होगें।

03 योजनान्तर्गत 950 छात्र / छात्रा X^{th}(secondary) के एवं 50 छात्र / छात्राऐं वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत के उत्तीर्ण हो को देय है।

04 प्राप्तांक का आधार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा X^{th}(secondary) के प्राप्तांक है, तथा टॉप 1000 छात्र / छात्राओं को यह राशि प्रदान की जावेगी।

05 सहायता राशि हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया जा रहा है, तथा प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर मैरिट के आधार पर सूची तैयार कर राशि प्रदान की जावेगी।

06 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी से अग्रेषित करवाकर भेजना होगा।

07 वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2023–24 में अंशदान कटौती के कटौती शिड्यूल एवं ई0सी0एस0 की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जानी है। पी.डी. मद के मामलें में जहां से वेतन आहरित हुआ हो वहां से ई.सी.एस. / शिड्यूल की प्रति प्राप्त कर संलग्न करें।

08 यह सहायता राशि वर्ष मई 2024 में आये परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए है, पर लागू होगी।

09 अपूर्ण प्रार्थना–पत्र एवं देरी से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, अतः ऐसी स्थिती में एवं निरस्त प्रार्थना–पत्र के बारे में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

10 निर्धारित अवधि के पूर्व एवं पश्चात् भिजवाये गये आवेदन निरस्त किये जायेगें।

11 कार्मिक के पुत्र/पुत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर या अन्य राजकीय स्त्रोतों से इस प्रकार की कोई छात्रवृति प्राप्त की हो, वे पात्र नहीं होगें।

12 योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ई0सी0एस0 की जरिये जमा की जावेगी, इस बाबत अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावें।

13 संस्था प्रधान एवं अग्रेषण करने वाले अधिकारी गण उक्त बिन्दुओं के बारे में आश्वस्त होने के उपरान्त प्रार्थना-पत्र अनुशंषा सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता सचिव, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित किया जावें।

(इन्द्रा चौधरी)
उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निदेशक प्रांरभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
6. पंजियक शिक्षा विभागीय परिक्षायें, राजस्थान, बीकानेर।
7. सम्पादक शिविरा पत्रिका वास्ते प्रकाशनार्थ।
8. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट, शालादर्पण एवं शालादर्शन पर अपलोड करने बाबत।

(इन्द्रा चौधरी)
उप निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ मनोज मीना

हितकारी निधि

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी–निधि से शिक्षा विभागीय समस्त श्रेणी के कर्मचारियों (माध्यमिक/प्रारंभिक) के बच्चों के लिये माध्यमिक बोर्ड अजमेर की सैकण्डरी/विशिष्ट उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर एक मुश्त छात्रवृति योजना का प्रार्थना–पत्र

1 कर्मचारी का नाम ....

2 कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान ....

3 कर्मचारी का स्थाई पता ....

4 टेलिफोन नम्बर/ मोबाईल नम्बर ....

5 हितकारी निधि अंशदान 2018–19 से 2023–24 ई0सी0एस0 एवं शिड्यूल की प्रति संलग्न करें। ....

6 कर्मचारी की Employe ID संख्या ....

7 छात्र/छात्रा का नाम एवं सम्बन्ध ....

8 छात्र/छात्रा द्वारा जिस राजकीय शाला में अध्ययन करते हुए सैकण्डरी/विशिष्ट उपाध्याय में 70% या अधिक अंक प्राप्त किये है, का नाम ....

9 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा जारी सैकण्डरी/विशिष्ट उपाध्याय परीक्षा उतीर्ण करने की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति एवं प्राप्तांक प्रतिशत। ....

10 कार्मिक का बैंक खाता विवरण
पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति (प्रमाणित) या निरस्त चैक ....

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं मे कोई असत्यता पाई जाती है तो हितकारी–निधि, शिक्षा–विभाग, बीकानेर मेरे विरूद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

कर्मचारी के हस्ताक्षर मय पद
एवं कार्यरत स्थान

प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय/सी0बी0ई0ओ0) से अग्रेसित करवाया जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है अतः प्रार्थना–पत्र अध्यक्ष हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को छात्रवृति प्रार्थना–पत्र अनुशंषा सहित अग्रेसित किया जाता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/सी0बी0ई0ओ0
(मुख्यालय)
(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)